न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :–26/16 (225)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00244

उनवान

1. रतन सिंह } पुत्र जनक सिंह
2. भरत सिंह }
3. ओमप्रकाश पुत्र रोशन
4. नाहर सिंह पुत्र शंकर सिंह

} जाति लोधा नि0 ढाना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....................अपीलाण्ट/अप्रार्थी

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर श्री माहेश्वरी देवी जी विराजमान वाके ग्राम ढाना नाबालिग जरिये महन्त श्री 1008 जनकश्री ग्राम ढाना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.... रैस्पो0/प्रार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा0क0अ0 विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जा0दी0 व मुकदमें उनवानी मूर्ति मन्दिर बनाम रतन सिंह वगै0 बाबत हुक्म अदूली आदेश 10.03.2016 प्रार्थना पत्र संख्या 07/14

अपील संख्या :–27/16 (225)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00243

उनवान

1. रतन सिंह } पुत्र जनक सिंह
2. भरत सिंह }
3. ओमप्रकाश पुत्र रोशन
4. नाहर सिंह पुत्र शंकर सिंह

} जाति लोधा नि0 ढाना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....................अपीलाण्ट/अप्रार्थी

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर श्री माहेश्वरी देवी जी विराजमान वाके ग्राम ढाना नाबालिग जरिये महन्त श्री 1008 जनकश्री ग्राम ढाना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.... रैस्पो0/प्रार्थी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

10.03.2016 विधि विरुद्ध

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा0क0अ0 विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जा0दी0 व मुकदमें उनवानी मूर्ति मन्दिर बनाम रतन सिंह वगै0 बाबत हुक्म अदूली आदेश 10.03.2016 प्रार्थना पत्र संख्या 48/13

उपस्थित :–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा, हेमराज शर्मा अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री भोला सिंह अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय दिनांक :– 28.03.2024

1. यह दोनों अपीले अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.03.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों अपीलो में समान पक्षकार, समान विषय वस्तु होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

2. दोनों प्रकरणो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में असल प्रार्थी ने, असल अप्राथी एवं तरतीवी अप्रार्थीगण के विरूद्ध दो पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी के तहत इस आशय का पेश किया कि मूर्ति मन्दिर श्री माहेश्वरी देवी जी विराजमान वाके ग्राम ढाना तहसील रूपवास जिला भरतपुर नाबालिग जरिये महन्त श्री 1008 जनकश्री देवी ग्राम ढाना तहसील रूपवास जिला भरतपुर का दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2012 को स्थगन आदेश जारी किया गया है। जिसकी पूरी जानकारी अप्रार्थी अपीलाण्ट एवं तरतीवी अप्रार्थी को है। परन्तु बाबजूद स्थगन अप्रार्थी अपीलाण्ट व तरतीवी अप्रार्थी विवादित आराजी की यथास्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं व अवैध कब्जे करने के इरादा से उन्होनें विवादित आराजी पर पत्थर आदि डालकर अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया है। अतः उन्हें दण्डित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किये जाकर एवं समेकित किये जाकर अपीलाधीन आदेश से अप्रार्थी अपीलाण्ट व तरतीवी अप्रार्थी को एक–एक माह के सिविल कारावास से दण्डित कर स्थगन के बाद किये गये निर्माण को हटाये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलाण्ट ने यह दोनों अपीले न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी हैं।

3. अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। अपीलाण्ट के ऊपर समुचित रूप से एवं सीपीसी के प्रावधानो के तहत कोई सम्मन तामील नहीं हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं ना ही तामील कुनन्दा की कोई स्पष्ट रिपोर्ट ही है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुये। प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.10.2012 को जारी हुयी एवं दिनांक 30.09.2015 को उसे कन्फर्म किया गया। मूल दावे का निस्तारण दिनांक 05.02.2016

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

को हुआ एवं हुक्म अदूली का निर्णय दिनांक 10.03.2016 को मूल दावे के निस्तारण के पश्चात् हुआ। यदि मूल दावा पूर्व में निर्णित हो जाता है तो हुक्म अदूली का प्रार्थना पत्र स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पत्रावली में मौका कमीश्नर की रिपोर्ट जो दिनांक 30.09.2007 की है में विवादित भूमि में पूर्व से ही मकानात आदि बना होने का स्पष्ट उल्लेख है। विवादित भूमि में अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 भी सहखातेदार हैं। क्योंकि विवादित भूमि को ग्राम पंचायत ने मूर्ति मंदिर के लिये दान में दी थी, जो आबादी की भूमि थी। पूर्व से ही मकानात बने हुये हैं। नोटिस अधीनस्थ न्यायालय ने जारी किये गये हैं वह वास्ते जाहिर करने वजह के जारी किये गये हैं। अतः जब हुक्म अदूली की कार्यवाही शुरूआत ही नहीं हुयी तो सजा कैसे कर सकते हैं। अपीलाण्ट ने दौराने स्थगन कोई भी नया निर्माण नहीं किया। सारे निर्माण पूर्व के ही हैं। हुक्म अदूली के प्रार्थना पत्र में बिना मौका रिपोर्ट तलव किये ही सजा कर दी। केवल मौखिक कथनो के आधार पर, अपीलाधीन आदेश में कही भी यह नहीं बताया कि किस–किस व्यक्ति ने कितने–कितने हिस्से पर अवैध कब्जा किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप हैं। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। सभी पक्षकार एवं अपीलाण्ट की समुचित एवं सीपीसी के प्रावधानो अनुसार ही तामील हुयी है। रतन सिंह का सम्मन उसके पुत्र ने लिया है। अतः गवाहो के हस्ताक्षरो की आवश्यकता नहीं है। हुक्म अदूली का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.03.2014 को प्रस्तुत किया। उस समय दावा विचाराधीन था। अपीलाण्ट ने स्थगन के दौरान पत्थर आदि डालकर चबूतरा आदि का निर्माण किया है। मेला भी नहीं लगने देते। धीरे–धीरे विवादित आराजी पर अवैध कब्जा करते हैं। पुलिस में कारावास का खर्चा भी जमा करा दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील यह कहकर प्रस्तुत की गई है कि वक्त सुनवाई उन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही बाबत् कोई सूचना नही दी। उनके ऊपर नोटिस तामील नही हुआ, अपीलाधीन आदेश उनकी बैक पर पारित किया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिस, जिसमें जाहिर तौर पर अपीलाण्ट अप्रार्थी के हस्ताक्षर तो मौजूद है, किन्तु तामील कुनन्दा द्वारा कोई स्पष्ट रिपोर्ट एवं सत्यापन, गवाह आदि अंकित नही हैं एव ना ही नोटिस पर सम्बन्धित तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर मौजूद हैं। नियम व न्यायिक दृष्टान्तो के आलोक में इसे समुचित तामील नही माना जा सकता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट तलव नहीं की गयी है। जबकि हुक्म अदूली के प्रार्थना पत्र में मौका की रिपोर्ट तलव किया जाना आवश्यक है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस–किस पक्षकार ने कितने–कितने रकवे पर अतिक्रमण किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 06.07.2012 अनुसार खसरा नम्बर 1209 में अपीलांट अप्रार्थी व अन्य के पूर्व से मकानात बने होना अंकित है एवं इसी प्रकार मौका कमिश्नर रिपोर्ट 2012 में पूर्व से मकानात बने होना व खसरा नम्बर 1209 मूर्ति मंदिर के साथ–साथ अपीलाण्ट व अन्य की सहखातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि यदि अपीलाण्ट द्वारा अपने रकवे से अधिक की भूमि पर अतिक्रमण किया है तो उन्हें प्रकरण में मौके की रिपोर्ट तलव करते हुये, एवं साक्ष्य लेते हुये, अपीलाण्ट के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिये थी। इस प्रकार

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बिना मौका रिपोर्ट लिये, मात्र मौखिक कथनो के आधार पर अपीलाण्ट को दण्डित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2016 एक माह के सिविल कारावास सजा की हद तक निरस्त किया जाता है, शेष निर्णय यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर